



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 382 राँची, सोमवार, 20 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
10 जून, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

2 मार्च, 2024

संख्या -1/पी0-103/2022 का०-1601--प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती वंदना दादेल, भा.प्र.से. (झा:1996) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी ।

संख्या-1/पी0-103/2022 का०-1602--प्रमण्डलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार, भा.प्र.से. (झा: 2007) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-1/पी0-103/2022 का०-1603--उपायुक्त, चतरा के पद पर पदस्थापित श्री अबु इमरान, भा.प्र.से. (झा: 2010) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लि0, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

2. श्री इमरान अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसायटी, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या-1/पी0-103/2022 का०-1604--उपायुक्त, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री शशि भूषण मेहरा, भा.प्र.से. (झा: 2012) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-1/पी0-103/2022 का०-1605--अपर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती कुमुद सहाय, भा.प्र.से. (झा: 2012) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जामताड़ा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट -2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगी ।

संख्या-1/पी0-103/2022 का०-1606--संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री घोलप रमेश गोरख, भा.प्र.से. (झा: 2012) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक चतरा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे ।

संख्या-1/पी0-103/2022 का०-1607--राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती किरण कुमारी पासी, भा.प्र.से. (झा:2013) (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकार, झारखण्ड तथा निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT)) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-1/पी0-103/2022का०-1608--निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री आदित्य रंजन, भा०प्र०से० (झा:2015) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है ।

श्री रंजन अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकार, झारखण्ड तथा निदेशक, झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT) के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।
